न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2012/00031

1. चेतन प्रकाश
2. हजारी लाल पिसारान श्री नारायण जाति बैरवा निवासीगण अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. भू–प्रबन्ध अधिकारी, कोटा ।
3. बृजमोहन
4. गिर्राज पिसरान लटूर लाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
5. भंवर पुत्र लोडूलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम अयाना तहसील पील्दा जिला कोटा ।
6. श्रीमती कैलाश पुत्री लोडूलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
7. काली बेवा मोडूलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम आयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
8. आनन्दी लाल
9. गोबरी लाल पिसरान पांथ्या जाति बैरवा निवासीगण ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
10. पुष्पा पुत्री पांथ्या जाति बैरवा निवासी ग्राम अयाना ।
11. नट्टी पुत्री पांथ्या जाति बैरवा निवासी ग्राम अयाना ।
12. रेवडी पुत्री पांथ्या जाति बैरवा निवासी ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
13. चाहन्या बाई पुत्री श्री नारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्याम लाल सुमन, रेस्पोडेन्ट कम 04 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 04.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 13 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92, 92ए, 188 एवं 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा में वादीगण के पिता व पति तथा प्रतिवादी क्रम 08 से 12 के पिता के शामलाती खाते में सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 993 रकबा 09 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1001 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 770/1559 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा कुल 03 किता की 23 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में पांथ्या व नारायण के 1/2 –1/2 हिस्से में दर्ज है । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 1157 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 1473 रकबा 1.63 हैक्टर, खसरा नम्बर 1476 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 1477 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 1478 रकबा 0.54 हैक्टर कुल 05 किता की रकबा 3.59 हैक्टर कायम किये गये । वादीगण के स्वयं के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1630/1002 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में बाद सेटलमेंट हाल खसरा नम्बर 1479 रकबा 0.32 कायम किये गये हैं । इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 5 से 7 के पिता लोडूलाल पुत्र रामकल्याण की गैर खातेदारी में खसरा नम्बर 1629/1002 रकबा 13 बीघा भूमि सेटलमेंट से पूर्व स्थित है । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट हाल खसरा नम्बर 1480 रकबा 1.10 हैक्टर, 1481 रकबा 0.39 हैक्टर, 1482 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 1483 रकबा 0.31 हैक्टर कायम किये गये । उक्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व प्रतिवादी क्रम 5 से 7 के पिता के खाते दर्ज थी जिसे सेटलमेंट विभाग ने बिना किसी सक्षम आदेश के प्रतिवादी क्रम 3 व 4 के खाते दर्ज कर दिया । सेटलमेंट विभाग द्वारा वादीगण की शामलाती खाते एवं स्वयं के खाते की आराजी का रकबा गलत दर्ज किया गया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था । वादीगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 1001 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा पुराना व चालू रिकॉर्ड व नक्शे व मौके अनुसार नेय खसरा नम्बर 1476 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 1477 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 1478 रकबा 0.54 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1479 की 0.32 हैक्टर बनने चाहिए थे जबकि सेटलमेंट विभाग द्वारा खसरा नम्बर 1479 की 0.32 हैक्टर को खसरा नम्बर 1630/1002 की 04 बीघा 10 बिस्वा का नया नम्बर बना दिया जो गलत है जबकि मौका व नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 1001 से ही बना है । खसरा नम्बर 1630/1002 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा जो कि वादीगण के खातेदारी की है । नये सेटलमेंट द्वारा खसरा नम्बर 1481 की 0.39 हैक्टर तथा 1482 की 0.34 हैक्टर बनाना चाहिए जो प्रतिवादी क्रम 02 सेटलमेंट विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी क्रम 03 व 04 के खाते दर्ज किया । सेटलमेंट विभाग को वादीगण की आराजी को त्रुटिपूर्ण मिलान क्षेत्रफल कायम करने का तथा वादीगण की आराजी प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने खाते की आराजी को पुराने रिकॉर्ड, नक्शे व मौके के अनुसार दर्ज करावे ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण के खाते की आराजी गत खसरा नम्बर 1630/1002 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा जिसके वाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 1481 रकबा 0.39 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1482 रकबा 0.34 हैक्टर वाद केचमेंट खसरा नम्बर 2550 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 2548 रकबा 0.51 हैक्टर कायम किये गये हैं को वादीगण के खाते में दर्ज कर दुरूस्ती की डिक्री पारित की जावे । वादीगण तथा प्रतिवादीगण क्रम 08 से 12 के शामलाती खाते की आराजी में पूर्व सेटलमेंट खसरा नम्बर 1001 की 11 बीघा 17 बिस्वा के मौके व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 1476 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 1477 रकबा

0.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 1478 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 1476 रकबा 0.32 हैक्टर बाद केचमेंट नवीन खसरा नम्बर 0.97 हैक्टर, खसरा नम्बर 2552 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 2551 रकबा 0.30 हैक्टर कायम किया जाकर उक्त भूमि का वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 08 से 12 को खातेदार कृषक घोषित किया जावे । वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 1630/1002 जिसके बाद दुरूस्ती खसरा नम्बर 1481 रकबा 0.39 हैकटर तथा खसरा नम्बर 1482 रकबा 0.34 हैक्टर बनने चाहिए बाद केचमेंट खसरा नम्बर 2550 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 2548 रकबा 0.51 हैक्टर कायम हुए हैं से प्रतिवादी क्रम 3 व 4 को बेदखल किया जावे तथा कब्जा वादीगण को दिलवाया जाने तथा प्रतिवादीगण क्रम 3 व 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण को उनके शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त की आराजी में मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.07.2012 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.07.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी क्रम 1 व 2 ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया कि वादीगण अपीलान्ट के पिता एवं मृतक वादिनी के पति नारायण एवं प्रतिवादीगण क्रम 8 से 12 के पिता श्री नारायण के शामलाती खाते में वर्तमान सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 993, 1001 तथा 770/1559 की 03 किता की 23 बीघा 05 बिस्वा आराजी स्थित थी । बाद सेटलमेंट के उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 1157, 1473, 1476, 1477, 1478, कुल 05 किता की 3.59 हैक्टर कायम हुए हैं । पूर्व नक्शे व मौके की स्थिति के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1479 रकबा 0.32 हैकटर भी साबिक खसरा नम्बर 1001 से बनना चाहिए था । प्रतिवादीगण क्रम 5 से 7 के पिता श्री लोडूलाल के गैर खातेदारी में खसरा नम्बर 1629/1002 की 13 बीघा भूमि स्थित थी । उक्त आराजी के वर्तमान सेटलमेंट में हाल खसरा नम्बर 1480 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1481 रकबा 0.39 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1482 रकबा 0.54 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1483 रकबा 0.31 हैक्टर कायम हुए हैं । उक्त आराजी को भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी सक्षम आदेश के प्रतिवादीगण क्रम 3 व 4 के खाते दर्ज कर दिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था । वादीगण के पूर्वजों एवं वादीगण अपीलान्ट के खाते व कब्जे की उक्त भूमि को भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों को रेस्पोडेन्ट के खाते दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था । प्रतिवादीगण क्रम 3 व 4 ने गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर ताकत के बल पर जबरन गैर कानूनी रूप से खसरा नम्बर 1481 व 1482 की रकबा 0.73 हैक्टर पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.07.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को सूचना दिये बिना उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अपीलान्टगण ने अपनी ओर से पैरवी करने हेतु वकील श्री भागवन्त सिंह जी आसावत को नियुक्त कर रखा था जिन्होंने प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने के लिए मना किया हुआ था और निर्णय होने पर सूचना देने बाबत् कहा था लेकिन

उनके अभिभाषक द्वारा निर्णय की कोई सूचना नहीं दी गई । अपीलान्ट दिनांक 25.10.2012 को अपने वकील साहब के पास गया तो उनके द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री के बारे में बताया जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादीगण अपीलान्ट के पिता एवं मृतक वादिनी संख्या 04 मंगली बाई के पति श्री नारायण और प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 08 से 12 के पिता पांथ्या के खाते एवं कब्जे काश्त में सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 993, 1001 एवं 770/1559 कुल 03 किता की 23 बीघा 05 बिस्वा आराजी थी । वादीगण नारायण के वारिस और प्रतिवादी कम 08 से 12 पांथ्या के वारिस हैं । सेटलमेंट के बाद इनके नये खसरा नम्बर 1157, 1473, 1476, 1477, 1478 कुल 05 किता की 3.59 हैक्टर आराजी दर्ज की गई । पुराने नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1479 रकबा 0.32 हैक्टर साबिक खसरा नम्बर 1001 से बनना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया कि वादगीण अपीलान्ट के खाते की साबिक खसरा नम्बर 1630/1002 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा के सेटलमेंट के उपरान्त नया खसरा नम्बर 1479 रकबा 0.32 हैक्टर कायम किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । खसरा नम्बर 1630/1002 के नये नम्बर 1481 और 1482 हैं जो रेस्पोडेन्ट कम 3 व 4 के खाते में दर्ज हैं। प्रतिवादीगण कल 5 लगायत 7 के पिता लोडूलाल के गैर खातेदारी में साबिक खसरा नम्बर 1629/1002 की 13 बीघा भूमि स्थित थी जिसके नये नम्बर 1480, 1481, 1482, 1483 कायम किये गये हैं । इस आराजी को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के भू–प्रबन्ध विभाग ने प्रतिवादीगण कम 3 व 4 के खाते में दर्ज किया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था । भू–प्रबन्ध विभाग का यह कृत्य त्रुटिपूर्ण है और अधिकार क्षेत्र से बाहर का है । मिलान क्षेत्रफल गलत बनाया है । मौके की स्थिति एवं नक्शा ट्रेस के अनुसार वादीगण खसरा नम्बर 1481 एवं 1482 की आराजी को अपने खाते में दर्ज कराने के अधिकारी हैं । प्रतिवादीगण ने जबरन ताकत के बल पर इस पर कब्जा कर लिया है जिसको बेदखल किया जाना आवश्यक है । केचमेंट के उपरान्त इसके नये नम्बर कायम किये जा चुके हैं । खसरा नम्बर 1481 का केचमेंट के उपरान्त नया खसरा नम्बर 2550 रकबा 0.39 हैक्टर कायम हुआ है । खसरा नम्बर 1479 रकबा 0.32 हैक्टर के स्थान पर खसरा नम्बर 2551 रकबा 0.30 हैक्टर कायम किया गया है और 1482 रकबा 0.54 हैक्टर के स्थान पर खसरा नम्बर 2548 रकबा 0.51 हैक्टर दर्ज किया गया है । इसे हम खाते में दर्ज कराने के अधिकारी हैं और अतिक्रमियों को बेदखल कर उस पर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अपीलान्ट वादीगण की शहादत खण्डन में प्रतिवादीगण के द्वारा कोई शहादत पेश नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन नहीं किया है । तहसील की रिपोर्ट दिनांक 23.11.1991 पर ध्यान नहीं दिया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.07.2012 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरसी 1997 पेज 500 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट कम 04 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है । वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य से अपने पक्ष को सिद्ध नहीं किया है । पूर्व में नारायण ने एक दावा पेश किया था जिसको विड्रो करके नया दावा पेश किया है। केचमेंट मौके पर हो चुका है जिसमें सबकी जमीन कम हुई है । रेस्पोडेन्ट की जमीन भी कम हुई है । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक और काबिज काश्त है । सेटलमेंट से पहले एवं बाद के नक्शे भी पेश नहीं किये हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.07.2012 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नक्शा ट्रेस प्रदर्श– पी–1 संलग्न है, नकल जमाबन्दी संवत् 2029–32 प्रदर्श–पी–2 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 993, खसरा नम्बर 1001 एवं खसरा नम्बर 770/1559 कुल 03 किता की 23 बीघा 05 बिस्वा भूमि पाथ्या वल्द किशना हिस्सा 1/2 नारायण वल्द पारिया हिस्सा 1/2 संभाग से खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2033–36 प्रदर्श–पी–3 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1630/1002 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा नारायण के गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2033–36 प्रदर्श–पी–4 जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1629/1002 रकबा 13 बीघा भूमि लोडूलाल के गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 5 संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2041–60 भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श– पी–6 के अनुसार पांथ्या और नारायण के खाते में संभाग से कुल 05 किता की 3.59 हैक्टर दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2041–60 नया खाता संख्या 521 भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श– पी–7 के अनुसार खसरा नम्बर 1479 रकबा 0.32 हैक्टर भूमि नारायण के गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2041–60 नया खाता संख्या 392 भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श– पी–8 के अनुसार खसरा नम्बर 1480, 1481, 1482 कुल 03 किता की रकबा 2.03 हैक्टर भूमि बृजमोहन, गिर्राज पुत्र लटूर के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2058–61 प्रदर्श – 9 नया खाता संख्या 14 में कुल 05 किता की 3.59 हैक्टर आराजी आनन्दीलाल, गोबरी लाल पुत्र पांथ्या नाथी बेवा पांथ्या व पुष्पा नटी रेवडी पुत्रियॉ पांथ्या हिस्सा 1/2 नारायण पुत्र पीरया हिस्सा 1/2 के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2058–61 नया खाता संख्या 617 प्रदर्श– 10 के अनुसार खसरा नम्बर 1479 रकबा 0.32 हैक्टर आराजी नारायण के गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2058–61 प्रदर्श– पी–11 नया खाता संख्या 291 में खसरा नम्बर 1480 एवं 1482 कुल 02 किता की रकबा 1.64 हैक्टर भूमि बृजमोहन, गिर्राज के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2058–61 नया खाता संख्या 209 प्रदर्श– 12 के अनुसार खसरा नम्बर 1481 की रकबा 0.39 हैक्टर भूमि नारायण के खाते में दर्ज है । प्रदर्श– पी–13 उप जिला कलक्टर, लाडपुरा के निर्णय दिनांक 28.11.1990 की फोटो प्रति है । प्रदर्श– पी–14 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 28.09.1991 की प्रमाणित प्रति

है । प्रदर्श– पी–15 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 26.09.1996 की फोटो प्रति है और प्रदर्श– पी–16 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 31.03.2000 की प्रमाणित प्रति है । प्रर्दश– पी–17 पटवारी हल्का की रिपोर्ट की फोटो प्रति है । प्रदर्श पी–18 आवंटन आदेश की फोटो प्रति है । प्रदर्श– पी–19 धारा 80 सीपीसी के नोटिस की प्रति है । प्रदर्श– 20 उपखण्ड अधिकारी इटावा के आदेश की प्रति है ।

12. बयानों में शपथ पत्र चेतन प्रकाश पीडब्ल्यू–1 और सत्यनारायण पीडब्ल्यू–2 पेश किये गये हैं परन्तु दोनों शपथग्रहिताओं ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्रों की ताईद नहीं की है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ दस्तावेज जो प्रमाणित प्रतियॉ नहीं हैं वरन् फोटो प्रतियॉ है उन्हें भी प्रदर्शित किया गया है । इसके अलावा फर्द के साथ भी कुछ दस्तावेजों की फोटो प्रतियॉ एवं कुछ प्रमाणित प्रतियॉ पेश की गई हैं परन्तु उनकों प्रदर्शित नहीं करवाया गया है इनमें से कुछ फोटो प्रतियॉ पठनीय भी नहीं हैं ।

13. वादीगण के पिता ने पूर्व में एक दावा हक घोषणा का पेश किया था जो दिनांक 28.11.1990 को उप जिला कलक्टर, कोटा के द्वारा डिक्री किया गया इसके प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया । द्वितीय अपील में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा को रिमाण्ड किया गया और दिनांक 31.03.2000 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने मूल वाद को निस्तारित करते हुए रेस्पोडेन्ट को नया दावा पेश करने की अनुमति प्रदान की । दिनांक 03.05.2007 की उपखण्ड अधिकारी की आदेशिका के अनुसार दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है और वादीगण के पुत्रगण स्वतंत्र दावा पेश कर सकते हैं यह आदेश में अंकित किया गया है । इसके उपरान्त वादीगण ने यह नया दावा पेश किया है । वादीगण के द्वारा मुख्य रूप से अपने दावे में यह कथन किया गया है कि साबिक खसरा नम्बर 1001 से ही हाल खसरा नम्बर 1479 बना है जिसका रकबा 0.32 हैक्टर है और साबिक खसरा नम्बर 1630/1002 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 1481 और 1482 बने हैं जिनको उनके खाते में दर्ज किया जावे । परन्तु इनको प्रमाणित करने के लिए उनके द्वारा सेटलमेंट से पूर्व एवं सेटलमेंट के बाद के नक्शों की प्रमाणित प्रतियॉ पेश नहीं की हैं जिसको सुपर इम्पोज करके यह निर्धारित किया जा सके कि वादी के खाते की आराजी कौन से खसरा नम्बर में शामिल की गई है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदर्श– पी–4 के अनुसार लोडूलाल वल्द रामकल्याण के खाते में साबिक खसरा नम्बर 1629/1002 की 13 बीघा आराजी दर्ज है और इसके नये खसरा नम्बर मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 1480, 1481, 1482 बने हैं जो प्रदर्श– 8 के अनुसार बृजमोहन एवं गिर्राज के खाते में दर्ज है। नये नम्बरान का कुल क्षेत्रफल रकबा 2.03 हैक्टर जो साबिक रकबा 13 बीघा से अधिक नहीं है । वादी अपीलान्ट का यह कथन कि खसरा नम्बर 1480, 1481, 1482, 1483 की आराजी सेटलमेंट ने प्रतिवादी कम 3 व 4 के खाते दर्ज कर दी है, रिकॉर्ड से प्रमाणित नहीं है क्योंकि उनके खाते में प्रदर्श– 4 के अनुसार खसरा नम्बर 1480, 1481, 1482 की आराजी दर्ज है न कि 1483 की । वादी को साबिक और हाल खसरा नम्बरान के नक्शे एवं विस्तृत रिपोर्ट जिससे यह प्रमाणित करना होता है कि उनके खाते की आराजी कम करके किस नम्बर में शामिल की गई है और यदि खसरा नम्बर 1481 और 1482 उनके खाते में दर्ज पुराने खसरा नम्बर से बने हैं तो प्रतिवादी के खाते में दर्ज साबिक खसरा नम्बर 1629/1002 में नये नम्बर क्या बने हैं यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है जो स्पष्ट नहीं किया गया है ।

रिपोर्ट पटवारी हल्का भी अपूर्ण है और यह फोटो प्रति है प्रमाणित प्रति नहीं है । वादीगण के द्वारा बयानों में जो शपथ पत्र पेश किये गये हैं उनकी भी ताईद शपथग्रहिताओं ने न्यायालय में उपस्थित होकर नहीं की है। इन समस्त तथ्यों के आधार पर वादी अपने दावे को सिद्ध नहीं कर पाये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.07.2012 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 04.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4.9.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2012/0003

1. चेतन प्रकाश
2. हजारी लाल पिसारान श्री नारायण जाति बैरवा निवासीगण अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. भू–प्रबन्ध अधिकारी, कोटा ।
3. बृजमोहन
4. गिर्राज पिसरान लटूर लाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा
5. भंवर पुत्र लोडूलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम अयाना तहसील पील्दा जिला कोटा ।
6. श्रीमती कैलाश पुत्री लोडूलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा
7. काली बेवा मोडूलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम आयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
8. आनन्दी लाल
9. गोबरी लाल पिसरान पांथ्या जाति बैरवा निवासीगण ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा
10. पुष्पा पुत्री पांथ्या जाति बैरवा निवासी ग्राम अयाना ।
11. नट्टी पुत्री पांथ्या जाति बैरवा निवासी ग्राम अयाना ।
12. रेवडी पुत्री पांथ्या जाति बैरवा निवासी ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
13. चाहन्या बाई पुत्री श्री नारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 26.07.2012 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 143/दावा/2007

1. चेतन प्रकाश
2. हजारी लाल पिसारान श्री नारायण जाति बैरवा निवासीगण अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. चाहन्या बाई पुत्री श्री नारायण बैरवा निवासी आयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. मंगली बाई बेवा श्री नारायण बैरवा निवासी अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. भू–प्रबन्ध अधिकारी, कोटा ।
3. बृजमोहन
4. गिर्राज पिसरान लटूर लाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा
5. भंवर पुत्र लोडूलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम अयाना तहसील पील्दा जिला कोटा ।
6. श्रीमती कैलाश पुत्री लोडूलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा
7. काली बेवा मोडूलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम आयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
8. आनन्दी लाल
9. गोबरी लाल पिसरान पांथ्या जाति बैरवा निवासीगण ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा
10. पुष्पा पुत्री पांथ्या जाति बैरवा निवासी ग्राम अयाना ।
11. नट्टी पुत्री पांथ्या जाति बैरवा निवासी ग्राम अयाना ।
12. रेवडी पुत्री पांथ्या जाति बैरवा निवासी ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 26.07.2012 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 04.09.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट कम 04 की ओर से अभिभाषक श्री श्याम लाल सुमन के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.07.2012 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 04.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

4.09.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा